बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक :- 156074 दिनांक :- 17/07/13

ग्रा0वि0-3/स्था.1-06/2013

प्रेषक,

अमृत लाल मीणा,
सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार ।

विषय:- **स्थानीय व्यवस्था के तहत प्रखंड विकास पदाधिकारी का प्रभार सौंपने के संबंध में ।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय अधिसूचना सं0-151981 दिनांक 13.06.13, अधिसूचना सं0-151985 दिनांक 13.06.13, अधिसूचना सं0-151976 दिनांक 13.06.13, अधिसूचना सं0-133626 दिनांक 28.06.13 एवं अधिसूचना सं0-153628 दिनांक 28.06.13 द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारियों का स्थानांतरण आदेश निर्गत किया गया है जिसमें जिला पदाधिकारियों को यह निदेश दिया गया है कि स्थानांतरण के फलस्वरूप हुई रिक्तियों का प्रभार ऐसे प्रखंड विकास पदाधिकारियों को दिया जाए जिसका पदस्थापन 30.06.10 के बाद हुआ हो ।

2. ऐसा आदेश निर्गत करते समय अवधारणा यह थी कि उक्त अवधि के पूर्व कार्यरत पदाधिकारियों का सामान्य स्थानांतरण किया जाएगा एवं रिक्तियों को पूर्ण रूप से भरा जा सकेगा किंतु सामान्य स्थानांतरण नहीं किया गया है ।

3. तदनुसार इन अधिसूचनाओं के उक्त भाग को विलोपित किया जाता है एवं जिला पदाधिकारियों को इस हेतु पूर्णत: अधिकृत किया जाता है कि वे अपनी सुविधानुसार प्रखंडों में 30.06.10 के बाद से भी पदस्थापित प्रखंड विकास पदाधिकारियों को सुविधानुसार प्रभार दिलाया जा सकता है ।

विश्वासभाजन,
15.7.13
(अमृत लाल मीणा)
सचिव

आवेदन सं- 4563

sec-1/an